HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 40857 of 2024

Amit Kumar

.....Applicant(s)

Versus

State Of Up 3 Others

.....Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	Mohd. Shahibe Alam
Counsel for Opposite Party(s)	:	Durga Singh, G.A., Shivangi Bhargava

---

Court No. - 65

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. सूची पुनरीक्षित।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।

3. विपक्षी सं० 2 को नोटिस जारी हो। आवेदक की ओर से नोटिस भेजने के संबंध में आवश्यक पैरवी एक सप्ताह के अन्दर की जाय।

4. विपक्षीगण तीन सप्ताह में प्रतिशपथपत्र दाखिल करें। तत्पश्चात् आवेदक की ओर से एक सप्ताह में प्रत्युत्तरशपथपत्र दाखिल किया जाय।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक पीड़िता के साथ शादी करने के लिए तैयार है तथा पूर्व में इस हेतु उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, किन्तु किन्हीं कारणवश उसकी एवं पीड़िता की शादी नहीं हो पायी, जिसके फलस्वरूप आवेदक फिर से कारागार में गया तथा वर्तमान समय में कारागार में है। अग्रिम उनके द्वारा कथन किया गया कि पीड़िता वर्तमान समय में नारी-निकेतन, खुल्दाबाद में है तथा उसने एक बच्चे को जन्म दिया है जो पीड़िता के साथ रह रहा है। किन्तु उक्त कथन के समर्थन में कोई डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के उक्त कथन की सत्यता सिद्ध करने के लिए आवेदक के साथ-साथ पीड़िता के बच्चे का भी डी.एन.ए. परीक्षण कराया जाना उचित होगा।

7. उपरोक्तानुसार संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वह मुकदमा अपराध संख्या 205/2024, अंतर्गत धारा 376(2), 506 भा.दं.सं. एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट, थाना माण्डा, जिला प्रयागराज में नामित अभियुक्त/आवेदक एवं पीड़िता के बच्चे के डी.एन.ए. परीक्षण हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से नमूने एकत्र करने के बाद उन्हें संबंधित विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजें, जो यथाशीघ्र ऐसा परीक्षण करने का प्रयास करेंगे और अपनी रिपोर्ट संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को 15 दिनों के भीतर एक सीलबंद

लिफाफे में भेजेंगे, जो इसे अगली नियत तिथि को या उससे पहले इस न्यायालय को भेजेंगे।

8. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि वे पारित इस आदेश को 48 घंटे के भीतर संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करें।

9. इस आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार (अनुपालन) के साथ-साथ विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के समक्ष आवश्यक अनुपालन हेतु प्रदान की जाए।

10. तद्नुसार इस वाद को दिनांक 05.01.2026 को सूचीबद्ध किया जाए

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

November 15, 2025

Pawan Kumar

Digitally signed by :-
PAWAN KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad